दुष्कर्म करने के आरोपी को भेजा जेल

श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना प्रभारी अंकुर वर्मा ने बताया कि घोड़दौड़िया निवासी उमर अली पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज है। दुष्कर्म के चलते किशोरी गर्भवती हो गई थी। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही थी। बुधवार को गुप्त सूचना पर आरोपी उमर अली को जंगलदास कुट्टी पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। (संवाद)

चाकू के साथ गिरफ्तारी मामले में हुई सजा

अदालत से

श्रावस्ती। मल्हीपुर क्षेत्र के बढ़ियनपुरवा निवासी योगेंद्र को साल 2017 में मल्हीपुर पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। मंगलवार को योगेंद्र को सीजेएम विनीत कुमार यादव की अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने योगेंद्र को दोषी करार देते हुए 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)